


19.12.17

वकील उभयपक्ष उपर। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अक्लोकन
किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र वाजदथरी
स्वीकार किया जाता है एवं देरी के लिए 100/- ₹
की कांस्ट लगाई जाती है।

पत्रावली दावा सं०- 36/12 उनवली वीरेन्द्रसिंह
बनाम सुरेश सिंह वर्मा, निर्णय दि. 08.04.15 को पुनः
नंबर पर लिया जाता है।

पत्रावली कैसलशुमार होकर नंबर से कम
हो एवं बाद तकमील ~~सुल~~ सुल वाद रहे।


सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी (स०मा०)